

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ० प्रभाकर तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर को दिनांक 15/08/2018 से 22/08/2018 तक (शिकागो) विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई साक्षात्कार आदि में भाग लिया जायेगा।
2. विदेश में कोई प्रायवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी।
3. विदेश यात्रा पूर्णतः स्वयं के व्यय पर की जावेगी।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।

उपरोक्त के संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

पृ०क्र० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 1276

भोपाल, दिनांक 13/8/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म०प्र०।
02. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5351 दिनांक 09.07.2018 के संदर्भ में।
03. डॉ० प्रभाकर तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

13/8/18

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/1016 दिनांक 28.06.2018 के तहत डॉ० कुलदीप सिंह, चिकित्सा अधिकारी, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को दिनांक 25/07/2018 से 15/08/2018 तक (यू०के एवं सेनजन) विदेश यात्रा की अनुमति स्वीकृति प्रदान की गई थी।

डॉ० कुलदीप सिंह से प्राप्त आवेदन पत्र में उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 25/07/2018 से 15/08/2018 तक (यू०के एवं सेनजन) में विदेश यात्रा पर जाना संभव नहीं है, का लेख करते हुये उपरोक्त तिथि के स्थान पर दिनांक 16.08.2018 से 08.09.2018 तक विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुये डॉ० कुलदीप सिंह, चिकित्सा अधिकारी, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को दिनांक 25/07/2018 से 15/08/2018 तक के स्थान पर दिनांक 16.08.2018 से 08.09.2018 तक विदेश यात्रा (यू०के एवं सेनजन) की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2018/1264

भोपाल, दिनांक 10/8/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, म०प्र०।
02. संचालक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, म०प्र०।
03. डॉ० कुलदीप सिंह, चिकित्सा अधिकारी, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

10/8/18

10-8-18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-2/2018/

भोपाल, दिनांक / /2018

//आदेश//

डॉ. प्रज्ञा तिवारी, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय को दिनांक 15.08.2018 से 22.08.2018 तक की अवधि के लिये विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई इन्टरव्यू आदि में भाग लिया जावेगा ।
2. विदेश में कोई प्रायवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी ।
3. विदेश यात्रा पूर्णतः स्वयं के व्यय पर की जावेगी ।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा ।

उक्त संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

संयुक्त संचालक(कार्या.स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/08/2018

पृ.क्र/4/कार्या.स्था/सेल-2/2018/1643

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. अपर संचालक, (प्रशासन/वित्त) स्थानीय कार्यालय ।
3. डॉ. प्रज्ञा तिवारी, प्रभारी उप संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश ।
4. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त/अपर संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय ।
5. श्री पी.सी.थामस, एम.आई.एस.डिवीजन, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
6. आदेश नस्ती /व्यक्तिगत नस्ति ।

10/08/18
संयुक्त संचालक(कार्या.स्था.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश